कार्यालय जिला कलक्कटर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 23 / 2025

श्री पुरुषोत्तम लाल पुत्र चरनसिंह, निवासी सिरसौंदा, पोस्ट व तहसील रुपवास जिला भरतपुर

......अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्डाधिकारी भरतपुर

.......रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 06.06.2025**

अपीलान्ट / प्रार्थी श्री पुरुषोत्तम लाल पुत्र चरनसिंह, निवासी सिरसौंदा, पोस्ट व तहसील रुपवास जिला भरतपुर की यह अपील सूचना का अधिकार का अधिनियम 2005 के तहत इस आशय की प्राप्त हुई है कि प्रार्थी / अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर लोक सूचना अधिकारी, से सूचना चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी, द्वारा प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्डाधिकारी भरतपुर से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत कार्यालय हाजा के पत्रांक कोर्ट / 25 / 446 दिनांक 22.05.2025 से रिर्पोट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी उपखण्डाधिकारी भरतपुर से पत्रांक आरटीआई / 2025 / 322 दिनांक 26.05.2025 से प्राप्त जबाव का अवलोकन किया गया। उपखण्डाधिकारी भरतपुर द्वारा उक्त पत्र में अंकित किया गया है कि प्रार्थी / अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.) नदबई से सम्बन्धित होने के कारण कार्यालय के पत्रांक आरटीआई / 2025 / 201 दिनांक 17.04.2025 से सूचना का अधिकार का अधिनियम 2005 के नियम 6(3) के तहत मूल प्रार्थना पत्र एस.डी.एम. नदबई को प्रेषित किया गया है।

उपखण्डाधिकारी भरतपुर से प्राप्त उक्त पत्र के सन्दर्भ में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.) नदबई को कार्यालय हाजा के पत्रांक कोर्ट / 25 / 464 दिनांक 26.05.2025 से प्रार्थी / अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध

......2

जिला कलक्टर
भरतपुर

कराने/नहीं कराने के सन्दर्भ में रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.) नदबई से पत्रांक निर्वा. /2025/5014 दिनांक 06.06.2025 से जवाव प्राप्त हुआ, जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.) नदबई से प्राप्त जबाव का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट/प्रार्थी ने आर.टी.आई. प्रार्थना पत्र के जरिये पॉच बिन्दूओं पर सूचना चाही गई है। लोक सूचना अधिकारी उपखण्डाधिकारी नदबई के जबाव के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलान्ट/प्रार्थी को तीन बिन्दूओं की सूचना उपलब्ध कराई गई है, तथा बिन्दु संख्या 1 व 2 की सूचना के सम्बन्ध में अंकित किया है कि ग्राम एक्टा वर्ष 2008 से पूर्व विधानसभा क्षेत्र नदबई के क्षेत्राधिकार में नहीं आने से बिन्दु संख्या 1 व 2 की सूचना प्रार्थी को नहीं दी जा सकती है।

पत्रावली में उपलब्ध पत्रादि से यह जाहिर आया कि अपीलान्ट/प्रार्थी ने अपना आर.टी.आई. प्रार्थना पत्र सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु उपखण्ड अधिकारी भरतपुर को प्रेषित किया गया था, जिसे उपखण्ड अधिकारी भरतपुर ने उनके यहॉ चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को आर.टी.आई. अधिनियम के नियम 6(3) के तहत उपखण्ड अधिकारी, नदबई को भेज दिया गया। जानकारी करने पर बताया गया कि ग्राम एक्टा वर्ष 2008 से पूर्व विधानसभा क्षेत्र भरतपुर के क्षेत्राधिकार में आता था। ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी भरतपुर को चाहिये था कि बिन्दू संख्या 1 व 2 की सूचना प्रार्थी को उपलब्ध कराते हुये शेष सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र नियम 6(3) के तहत एस.डी.एम. नदबई को अग्रेषित किया जाना चाहिये था। परन्तु ऐसा नहीं कर सूचना उपलब्ध कराये जाने में अनावश्यक विलम्ब किया है। प्रार्थी बिन्दू संख्या 1 व 2 की सूचना निशुल्क प्राप्त करने का अधिकारी है।

अस्तु अपील अपीलान्ट आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है। उपखण्ड अधिकारी, नदबई से प्राप्त पत्र/जबाब की प्रति एवं अपीलान्ट/प्रार्थी का आर.टी.आई. प्रार्थना पत्र की प्रति उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर को प्रेषित करते हुये उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि सूचना के बिन्दू संख्या 1 व 2 की सूचना प्रार्थी को अन्दर 10 दिवस निशुल्क उपलब्ध

.......3

जिला कलक्टर
भरतपुर

करावें। निर्णय की प्रति अपीलान्ट को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाव की प्रति सहित) प्रेषित की जावे, तथा निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर एवं एस.डी.ओ.नदबई को सूचनार्थ प्रेषित हो। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर